न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 867/2018

1. करण सिंह पुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासीः 1199, मानपुरा हाउस, उनियारों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. सरदार सिंह पुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासीः प्लॉट नंबर 7 परमहंस कॉलोनी, मुरलीपुरा सीकर रोड, जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. दुर्गा सिंह पुत्र स्व. सुगन सिंह उर्फ सुजान सिंह
2. मनोहर सिंह पुत्र स्व. सुगन सिंह उर्फ सुजान सिंह
3. रामसिंह पुत्र पुत्र सज्जन सिंह
4. दिलीप सिंह पुत्र सज्जन सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मानपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर (राजस्थान)

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 20.06.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, जयपुर वाद पत्र संख्या 03/2013 उनवान प्रताप सिंह बनाम सुगम सिंह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

दिनांक 01/3/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 20.06.2018 वाद पत्र संख्या 03/2013 बउनवानी प्रताप सिंह बनाम सुगत सिंह के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि स्व. भंवरसिंह पुत्र स्व. जतन सिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 295 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 296 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 659 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1288 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1294 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 14 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा आराजीयात वाके मानपुरा मांचेडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल तहसील आमेर में स्थित है जिसमें से आराजी खसरा नंबर 1288 व 1294 को वर्तमान में ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास में शामिल किया है। विवादित आराजीयात के खातेदार उक्त भंवर सिंह जी का स्वर्गवास 4–5 वर्ष पूर्व हो गया है जिनके स्वर्गवास के बाद विवादित आराजीयात में से खसरा नंबर 659, 296 व 295 की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की माताजी स्व. मु. तोपकंवर के नाम दर्ज हुई है जिस मु. तोप कंवर का स्वर्गवास भी 2 वर्ष पूर्व हो चुका है। उक्त खातेदार स्व.

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

भंवर सिंह व स्व. मु. तोप कंवर के केवल वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तीनों पुत्र जीवित वारिसान है जो उक्त विवादित आराजीयात के बराबरी के खातेदार काश्तकार है यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजीयात में 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार वादी कुल विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने पिता स्व. भंवर सिंह जी व स्व. माता मु. तोपकंवर के स्वर्गवास होने के दिन से ही विवादित आराजीयात के संपूर्ण रकबे पर शामिल में ही काश्त करते और शामिल में ही लगान सरकार को अदा करते आ रहे है। वादी विवादित आराजीयात के अपने हिस्से की आराजी को अधिक उपजाऊ बनाकर इसका लाभ उठाना चाहता है जिस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित आराजीयात का विभाजन करवाकर वादी का 1/3 हिस्सा अलग करने को कहा तो प्रतिवादी ने इंकार कर दिया जिस कारण वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। खसरा नंबर 295 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 296 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 659 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1288 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1294 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 14 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा आराजीयात वाके मानपुरा मांचेडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल तहसील आमेर में स्थित है जिसमें से आराजी खसरा नंबर 1288 व 1294 को वर्तमान में ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास में शामिल किया है, का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। तत्पश्चात् वादी के हिस्से में आयी आराजी बाबत प्रतिवादी को जरिय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के उस हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा अबेट करने बाबत प्रस्तुत कर कथन किये गये कि प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु काफी वर्षो पूर्व हो चुकी है बावजूद इसके नियत समयावधि में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कारण वाद अबेट होने के कारण वादी वाद खारिज फरमाया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 20.06.2018 के माध्यम से वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वादी वाद अबेट होने के आधार पर खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स जो कि विवादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है किन्तु अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पत्र दिनांक 02.04.2018 को आधार मानकर गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व नंदू कंवर व सज्जन सिंह की मृत्यु बाबत कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी साथ ही विधि के सिद्धान्त अनुसार प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2018 द्वारा सूचना प्रदान किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी के पास 150 दिन की समयावधि थी बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक ओर तो स्वयं अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र को ढाई माह पूर्व पेश होने के तथ्य को स्वीकार किया है दूसरी ओर अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं करने को ही अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को स्वीकार किया जाना मानकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में महान कानूनी भूल कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 खारिज फरमाया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था। वकील अपीलान्ट का यह तर्क है कि विधि अनुसार बंटवारे का दावा अबेट नहीं होता है इस संबंध में यह कथन है कि वाद पत्र में घोषणा का भी अनुतोष चाहा गया था इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सही खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 3 से राजीनामा कर लिये जाने के कारण राजीनामा अनुसार अपील निर्णित करवाना चाहा है जबकि विधि अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा मूल वाद में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उदासीन रहते हुये प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकाम पेश नहीं किये थे जबकि प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु की जानकारी अपीलार्थी को प्रारंभ से ही रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।

5 हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट की और से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02/04/2018 को इस आशय का प्रस्तुत हुआ की प्रतिवादी संख्या 11 व 2 की मृत्यु काफी वर्षो पूर्व हो चुकी है एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत नही किया गया हैं, अत: वाद अबेट किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र हेतु तारीख तब्दील की गयी | दिनांक 05/06/2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अन्तिम अवसर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आगामी पेशी दिनांक 20/06/2018 नियत की गई एवं दिनांक 20/06/2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में ली जाकर वाद अबेट होना धारित करते हुये ख़ारिज कर दिया गया | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 व 2 की मृत्यु की सुचना प्रथमबार दिनांक 02/04/2018 को दी गयी एवं पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र अबेटमेंन्ट के जवाब हेतु नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 20/06/2018 को कैम्प कोर्ट में ली जाकर वाद अबेटमेंन्ट का आदेश

दिया गया अर्थात प्रतिवादी द्वारा प्रथमबार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सुचना देने के करीबन 79 दिवस पश्चात ही वाद को अबेट कर दिया गया जबकी अबेटमेंन्ट की मियाद पक्षकार को सूचना मिलने से 90 दिवस की होती है, जिससे स्पष्ट है कि वाद मियाद की समाप्ति के पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अबेट कर दिया गया | इसके अतिरिक्त दिनांक 05/06/2018 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/06/2018 दी गयी थी, उसमे पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत होने हेतु या पक्षकारान को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु कोई निर्देश नही दिये गये थे | इसके अतिरिक्त दिनांक 20/06/2018 की आदेशिका में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रतिवादी संख्या ½ के अतिरिक्त कोई पक्षकार उपस्थित नही था, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को बगैर सुचना दिये एवं बगैर सुनवाई का अवसर दिये वाद को अबेट घोषित किया गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध सिद्ध होता है | इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/06/2018 के विरुद्ध दिनांक 27/08/2018 को अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई यानि अपील प्रस्तुतीकरण की मियाद 60 दिवस से 70 दिवस पश्चात प्रस्तुत की गयी है जिस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है | इस सन्दर्भ में जैसाकी पूर्व में उल्लेखित किया जा चूका है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील वादी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बगैर उसकी जानकारी के पारित किया गया है ऐसमें मियाद का बिन्दु बाधा कारित नही रहने से प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार किया जाता है

6 अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/06/2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रारम्भिक आपत्ति के सन्दर्भ में वादी/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत वाद में कार्यवाही की जावे | यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि दौराने अपील अपीलार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत हुआ है जो अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 राम सिंह से सन्दर्भित है चूँकी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुन: निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, एवं इस न्यायालय द्वारा अपील की गुणावगुण पर निस्तारण नही किया गया है, अत: मूल प्रार्थना पत्र राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को वाद पत्रावली के साथ प्रेषित किया जावे की अधीनस्थ न्यायालय वाद के निस्तारण के समय प्रेषित किये जा रहे प्रार्थना पत्र राजीनामे का संज्ञान ले | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | बाद दाखिल दफ्तर हो |

7 निर्णय आज दिनांक 01/3/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर